आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	सारण समाहरणालय, छपरा। **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 70/2012** **रीता सिन्हा बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश**	
25/2/2014	संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 25699/13 रीता सिन्हा बनाम राज्य एवं अन्य से संबंधित है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 25/मु0 दिनांक 2.7.12 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता रीता सिन्हा, अनुज्ञप्ति सं0 109/2007 ग्राम-अपहर, पंचायत-अपहर, प्रखंड-अमनौर के उपर अमनौर थाना में कांड सं0 46/2012 दिनांक 10.5.2012 के तहत विक्रेता रीता सिन्हा के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज होने के आरोप में प्रारंभ की गयी थी। विक्रेता के उपर लगाए गए आरोप के संबंध में कारणपृच्छा की गयी थी। विक्रेता द्वारा दिए गए कारणपृच्छा में आरोपों का खंडन नहीं होता बतलाया। इस प्रकार प्राथमिकी में वर्णित आरोप सत्य प्रतीत पाते हुए बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001, बिहार राज्य कूपन योजना 2006, विभिन्न विभागीय दिशा-निदेशों, अनुज्ञप्ति की शर्त्तो का उल्लंघन तथा जन वितरण प्रणाली की वस्तुओं के उठाव एवं वितरण में अनियमितता बरतने के आलोक में विक्रेता की अनुज्ञप्ति सं0 109/2007 को रद्द कर दिया गया। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता ने बतलाया कि दिनांक 9.5.2012 को प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, अमनौर ने अपीलार्थी का स्टॉक जॉच किया और भेल्दी थाना कांड सं0 46/12 दर्ज होने के बाद पुनः दिनांक 10.5.2012 को स्टॉक की जॉच की गयी थी। अपीलार्थी द्वारा किरासन तेल के	

उठाव एवं स्टॉक में उपस्थित किरासन तेल का मिलान किया और कोई अनियमितता नहीं पायी गयी थी। जॉच के समय स्टॉक में दो ड्राम 400 लिटर किरासन तेल था। विज्ञ अधिवक्ता ने यह भी बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा किरासन तेल की कोई कालाबाजारी नहीं की है और न ही अनियमितता बरती गयी है। यह भी बतलाया कि अपीलार्थी को गलत ढँग से आपसी दुश्मनी के तहत मुकदमें में फॅसाया गया है। अपीलार्थी ने कभी भी पिकअप भान से कोई सामान नहीं मॅगवाया था। यह भी बतलाया कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा विकेता की अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी आदेश पारित किया गया है वह speaking order नहीं है। यह भी बतलाया कि सिर्फ थाना कांड सं0 46/12 दिनांक 10.5.12 को आधार बनाकर विकेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है, जबकि उक्त कांड में माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपमुक्त करने की कार्रवाई की गयी है। विज्ञ अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को बहाल करने हेतु अनुरोध किया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने बतलाया दर्ज थाना कांड सं0 46/12 दिनांक 10.5.12 के आधार पर अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है, जबकि उक्त कांड सं0 में अभियुक्तों को जमानत व आरोपमुक्त करने की कार्रवाई की गयी है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं यह पाता हूँ कि भेल्दी थाना कांड सं0 46/12 दिनांक 10.5.12 से संबंधित Trial No. 2486/13 में माननीय अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा दिनांक 30.5.13 को आदेश पारित किया गया– " ..... It appears that .....the PDS shop of Reeta Sinha has not been inspected and verified, the seizure list appears to have been prepared on 9-5-12 at 7.30 P.M. but the seizing authority has put his signauture on the same on 10-5-12 which creates a great doubt over the seizure list and the whole seizure becomes very suspicious and doubtful. ..... the accused petitioner Reeta Sinha is absolved from this case."

उक्त वाद में उल्लेखनीय है कि चूँकि एक भी ऐसा गवाह नहीं मिला, जिसने अपीलार्थी रीता सिन्हा की दूकान से संदर्भित वाहन पर किरासन तेल लोड होते हुए देखा हो। साथ ही जप्ती सूची तैयार करने की तिथि एवं समय तथा संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा जप्ती सूची पर अंकित तिथि में भिन्नता पाई गई। इसलिए माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त अपीलार्थी को आरोपमुक्त किया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा प्रश्नगत पारित आदेश एक speaking order नहीं है। यह भी मैं पाता हूँ कि सिर्फ अपीलार्थी के विरूद्व दर्ज कांड संख्या 46/12 दिनांक 10.5.12 को आधार बनाकर अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है, जबकि उक्त कांड संख्या में कई प्रकार की त्रुटियों को पाकर माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्तों के जमानत को मंजूर करने एवं उन्हें आरोपमुक्त करने की कार्रवाई की गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश को बरकरार रखने का पर्याप्त आधार नहीं पाता हूँ।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाता है एवं अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 622 /व्यवहार, दिनांक 03/05/2014

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को LCR मूल में संलग्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- NSC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।